राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
ब्लॉक - डीडी-34, सेक्टर-I, साल्टलेक सिटी, कोलकाता - 700 064.

राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता की गैर समतुल्य

शीर्षक एवं उद्देश्य :-

1. यह योजना "**राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता की गैर समतुल्य**" के नाम से जानी जायेगी। योजना का उद्देश्य संगोष्ठी / सम्मेलन के आयोजन हेतु पेशेवर संगठनों को सहायता प्रदान करना है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय संघ, स्थानीय निकाय और गैर-सरकारी संगठन है जो सार्वजनिक पुस्तकालय विकास / पुस्तकालय आन्दोलन की दिशा में कार्यरत है और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान विभाग भी शामिल है ।

2. **सहायता योग्य संस्थान :-**

(क) इस योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर के पुस्तकालय संघों, अन्य पेशेवर संगठनों, स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों/पुस्तकालय आंदोलन तथा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान विभाग को वित्तीय सहायता दी जा सकती है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए हकदार होने के लिए, किसी गैर सरकारी संघ को निम्नलिखित विशेषताओं के साथ पंजीकृत सोसाइटी होना चाहिए:

(i) इसके पास आवश्यक सुविधाएँ, संसाधन, कर्मी और विशेषज्ञता होनी चाहिए ताकि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान दिया जा रहा हो उस परियोजना / प्रस्ताव की शुरूआत की जा सके ।

(ii) इसका कार्य संतोषजनक पाया जाना चाहिए 1

(iii) यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिए नहीं परिचालित होना चाहिए ।

(iv) इसका नामांकन एनजीओ साझेदारी प्रणाली में अवश्य ही होना है जिसकी देखभाल भारत सरकार द्वारा वेबसाइट http://ngodarpan.gov.in के माध्यम से की जाती है।

3. सहायता के क्षेत्र

वर्ष में एक बार निम्नलिखित उद्देश्य के लिए सहायता दी जा सकती है :-

(i) संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

पुस्तकालयीन सेवाएँ प्रदान करने के लिए किसी अन्य मद पर भी विचार किया जा सकता है।

सामान्यतया केन्द्र सरकार या राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों के किसी योजना के अन्तर्गत वह परियोजना जिसके लिए अनुदान हेतु आवेदन किया गया है शामिल है तो अनुदान प्रदान नहीं किया जायेगा ।

मंजूर किया गया आवेदन **दो किस्तों** में जारी किया जाएगा, कुल अनुमोदित अनुदान का 75% संबंधित आवश्यक कागजातों की प्रस्तुति पर जारी किया जाएगा और शेष 25% परियोजना पूरी होने पर उपयोग की गयी राशि से संबंधित दस्तावेजों के पेश करने पर जारी किया जाएगा (अनुच्छेद 7 के अनुसार)।

4. सहायता की सीमा

आरआरआरएलएफ की हिस्सेदारी निम्नलिखित राशि तक सीमित है:-

i. एक दिवसीय संगोष्ठी/जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला रूपये 1.50 लाख।

ii. दो दिवसीय या उससे अधिक संगोष्ठी/जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशला रूपये 2.50 लाख।

द्रष्टव्य: बशर्ते अध्यक्ष के अनुमोदन से अधिकतम राशि संशोधित न की जाए।

5. आवेदन प्रस्तुत करने की विधि

(अ) विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए और संबंधित कागजातों के साथ राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान को कार्यक्रम से दो माह पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(ब) प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित कागजातों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए :-

(i) (अ) संघ का संविधान या ज्ञापन,
(ब) पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि
(स) नवीनतम उपलब्ध वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति और
(द) लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे ;

(ii) परियोजना / प्रस्ताव का विस्तृत विवरण जिसके लिए सहायता मांगी जा रही हो। इसमें अवधि, समय, स्थल, विद्वत व्यक्ति का नाम और संगोष्ठी का सार ;

(iii) खर्च का विस्तृत विवरण और स्रोत का भी उल्लेख करें जहाँ से बाकी के खर्च के लिए धन प्राप्त करना है ;

(iv) प्राप्त अनुदान से संबंधित सूचना, कहीं से मिलना तय है या इसके लिए किसी और निकायों के पास आवेदन किया गया है।

(v) राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन या राज्य पुस्तकालय समिति/राज्य पुस्तकालय योजना समिति आवेदन की जॉच करेगा और यथोचित संस्तुति के साथ विहित फार्म में इसे अग्रेषित करेंगे। यह संस्तुति सिर्फ एनजीओ के मामले में प्रयोज्य है।

6. अनुदान की शर्तें :-

(क) पहले प्राप्त अनुदान के उपयोग संबंधी कागजातों के नहीं प्राप्त होने पर कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

(ख) एक बार जब कार्य और प्राक्कलन को अनुमोदित कर दिया गया है और इन प्राक्कलनों के आधार पर अनुदान का मूल्यांकन किया गया है तब राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की पूर्व अनुमति के बिना संस्थान द्वारा उनका संशोधन नहीं होगा ।

(ग) अनुदान सिर्फ योग्य संघों को पक्के कागज पर प्राप्ति पूर्व रसीद के मिलने पर और विहित प्रपत्र में शर्तों को मानने की स्वीकृति प्राप्त होने पर जारी किया जायेगा ।

(घ) जब राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के पास विश्वास करने योग्य कारण होंगे कि मंजूर की गयी राशि का उपयोग अनुमोदित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है तब संस्थान राजा राममोहन राय पुस्कालय प्रतिष्ठान को अनुदान वापस करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

(ड़) प्रतिष्ठान को यह अधिकार है कि वह संगोष्ठी / सम्मेलन में प्रतिभागी के रूप में उपस्थित रहने के लिए दो प्रतिनिधियों को बिना किसी पंजीयन शुल्क के नामित करे ।

(च) संस्वीकृति आदेश की प्राप्ति से पूर्व किया गया खर्च अनुदान के उपयोग के रूप में नहीं जोड़ा जायेगा ।

(छ) परियोजना / प्रस्ताव के अनुमोदन तथा सहायता की राशि के संबंध में राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का निर्णय अंतिम होगा जिसे अनुदान भोगी संस्थान हर हालत में मानने को बाध्य होंगे ।

7. उपयोगिता के बाद दस्तावेजों की प्रस्तुति

संगोष्ठी / सम्मेलन के अंतिम तारीख से 90 दिन के अंदर अनुदान भोगी संगठन के द्वारा चार्टड एकाउन्टेंट / सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाणपत्र, अनुदान का लेखा परीक्षित विवरण, प्रतिभागियों की सूची, संगोष्ठी / सम्मेलन की संस्तुति तथा संगोष्ठी / सम्मेलन का कागजात बिना मूल्य के राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान को प्रस्तुत करना होगा ।